पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1141
दिनांक-08.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-बन्थरा

➢ **थाना बंथरा पुलिस टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **07.07.2026** को वादी **श्री रामकुमार रावत पुत्र सरजू**, निवासी ग्राम मवई पडियाना, थाना बंथरा, जनपद लखनऊ द्वारा थाना बंथरा पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उनके पुत्र **जितेन्द्र कुमार (उम्र लगभग 32 वर्ष)** के साथ बकरी बांधने की बात को लेकर अभियुक्त द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल जितेन्द्र कुमार का प्रारंभिक उपचार **जीएसआरएम हॉस्पिटल** में कराया गया, तत्पश्चात बेहतर उपचार हेतु **न्यू सिटी हॉस्पिटल, लखनऊ** ले जाया गया। बाद में परिजन उसे घर ले आए, जहां उसकी मृत्यु हो गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बंथरा पर **मु0अ0सं0 0207/2026**, धारा **105/115(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन एवं सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लखनऊ के पर्यवेक्षण में गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक **08.07.2026** को मुकदमे से संबंधित अभियुक्त **महिपाल रावत पुत्र स्वर्गीय कामता**, निवासी ग्राम मवई पडियाना, थाना बंथरा, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि **दिनांक 27.06.2026** को गांव निवासी जितेन्द्र रावत मोटरसाइकिल से गांव की ओर जा रहा था। उसी समय उसका भतीजा **अनीश पुत्र उमेश** बकरी चराने जा रहा था। इस दौरान मोटरसाइकिल की बकरी से टक्कर हो गई, जिस पर अनीश ने जितेन्द्र को सावधानीपूर्वक वाहन चलाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी एवं गाली-गलौज होने लगी।

शोर-शराबा सुनकर जब वह मौके पर पहुंचा और दोनों को समझाने का प्रयास किया तो विवाद बढ़ गया। अभियुक्त के अनुसार, इसी दौरान उसने तथा उसके भतीजे अनीश ने मिलकर जितेन्द्र के साथ मारपीट की। आवेश में आकर उसने मौके पर पड़ा आम की लकड़ी का डंडा उठाकर जितेन्द्र के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. महिपाल रावत पुत्र स्व0 कामता निवासी ग्राम मवई पडियाना थाना बंथरा जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 0207/2026 धारा 105/115(2) बीएनएस थाना बन्थरा लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना बन्थरा पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

1. उ0नि0 अभय कुमार गुप्ता थाना बन्थरा लखनऊ ।
2. का0 अशोक कुमार थाना बन्थरा लखनऊ
3. का0 अमित यादव थाना बन्थरा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1139
दिनांक-08.07.2026

जोन- मध्य/ थाना-हजरतगंज

आपरेशन कनविक्शन के तहत कोतवाली हजरतगंज द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए 02 अभियुक्तों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास वर्ष व 51-51 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 लखनऊ के आदेशानुसार प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को मा0 न्यायालयों से अधिक से अधिक सजा कराने के दृष्टिगत मा0 न्यायालयों में सघन पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट लखनऊ श्रीमती अपर्णा कुमार के आदेश अनुपालन में पुलिस उपायुक्त मध्य श्री विक्रान्त वीर, अपर पुलिस उपायुक्त मध्य श्री जितेन्द्र दूबे , सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज श्री रजनीश वर्मा के निर्देशन में, प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज श्री विक्रम सिंह व उनकी टीम द्वारा आपरेशन कनविक्शन के तहत सजा कराये जाने हेतु चिन्हित किये गये अभियोग मु0अ0सं0-386/2022 धारा 363/365/376डी/323/504 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर गवाहों को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराकर शासन की मंशा के अनुरूप अपराध करने वाले अपराधी 1. दादू उर्फ आकाश पुत्र हरिश्चन्द्र कनौजिया निवासी चौपड़ हास्पिटल नवल किशोर रोड हजरतगंज लखनऊ 2. तुसी उर्फ आदित्य गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी भेड़ी वाली कोठी हजरतगंज लखनऊ को अन्तर्गत धारा **376डी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट** को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 30-30 हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया, तथा अर्थदण्ड अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास, 10-10 हजार के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावस व धारा 365 भादवि में 05 वर्ष का कारावास, तथा 10-10 हजार के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावस, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

02-कार्यवाही का संक्षिप्त विवरणः–

कोतवाली हजरतगंज लखनऊ पर वादी की तहरीर पर दिनांक 07.11.22 को अभियुक्त दादू उर्फ आकाश उपरोक्त द्वारा स्वंय की नाबालिग पुत्री को रात्रि में उठा कर ले जाने एवं उसके साथ गलत काम करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-386/2022 धारा **363/365/376डी/323/504 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया था।

दौराने विवेचना अभियोग में अभियुक्त तुसी उर्फ आदित्य गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी भेड़ी वाली कोठी हजरतगंज लखनऊ का नाम प्रकाश में आया जिस पर 1. दादू उर्फ आकाश पुत्र हरिश्चन्द्र कनौजिया निवासी चौपड़ हास्पिटल नवल किशोर रोड हजरतगंज लखनऊ 2. तुसी उर्फ आदित्य गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी भेड़ी वाली कोठी हजरतगंज लखनऊ को त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा अभियुक्तगणों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र दिनांक 08.12.2022 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

अभियोग मा0 न्यायालय श्रीमान एडीजे स्पेशल पाक्सो प्रथम लखनऊ में विचाराधीन था। आपरेशन कनवेक्शन के तहत प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज, लखनऊ द्वारा उक्त अभियोग के अपराधियों को शीघ्र सजा कराये जाने हेतु चिन्हित किया गया।

कोतवाली हजरतगंज की टीम एवं एजीडीसी श्री विनय कुमार मा0 न्यायालय श्रीमान एडीजे स्पेशल पाक्सो प्रथम लखनऊ, एजीडीसी अनुपमा श्रीवास्तव मा0 न्यायालय श्रीमान एडीजे स्पेशल पाक्सो प्रथम लखनऊ व म0हे0का0 सीमा वैश्य कोर्ट मोहर्रिर मा0 न्यायालय श्रीमान एडीजे स्पेशल पाक्सो प्रथम लखनऊ के आपसी समन्वय एवं संयुक्त प्रयासो से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सभी गवाहों को समय से मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा गवाहों को परीक्षित कर अभियुक्तगण 1. दादू उर्फ आकाश 2. तुसी उर्फ आदित्य गुप्ता उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुये दोनों अभियुक्तों को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 51-51 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

03-सजायावी अभियुक्त का विवरणः-

1. दादू उर्फ आकाश पुत्र हरिश्चन्द्र कनौजिया निवासी चौपड़ हास्पिटल नवल किशोर रोड हजरतगंज लखनऊ
2. तुसी उर्फ आदित्य गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी भेड़ी वाली कोठी हजरतगंज लखनऊ

04-सजा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी कर्मचारीगण का विवरणः-

1. प्र0नि0 श्री विक्रम सिंह कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ।
2. एजीडीसी श्री विनय कुमार मा0 न्यायालय श्रीमान एडीजे स्पेशल पाक्सो प्रथम लखनऊ।
3. एजीडीसी अनुपमा श्रीवास्तव मा0 न्यायालय श्रीमान एडीजे स्पेशल पाक्सो प्रथम लखनऊ।
4. का0 प्रेम सागर, कोतवाली हजरतगंज लखनऊ।
5. म0हे0का0 सीमा वैश्य कोर्ट मोहर्रिर मा0 न्यायालय श्रीमान एडीजे स्पेशल पाक्सो प्रथम लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1140

दिनांक-08.07.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

➢ **थाना वजीरगंज पुलिस को बड़ी सफलता: 20 वर्षों से फरार गैर-जमानती वारंटी को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना वजीरगंज पुलिस को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ए.टी.एस., लखनऊ द्वारा निर्गत **गैर-जमानती वारंट (NBW)** के अनुपालन हेतु वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश प्राप्त हुए थे। उक्त वारंट **वाद संख्या 4057/98, मु0अ0सं0 296/91, धारा 379/411 भारतीय दंड संहिता, थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ** से संबंधित था।

प्रभारी निरीक्षक **श्री राजेश कुमार त्रिपाठी** के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए गए। अभियुक्त के संभावित ठिकानों का सत्यापन किया गया, स्थानीय स्तर पर सूचनाएं एकत्रित की गईं तथा तकनीकी एवं मानवीय सूचनाओं के आधार पर उसकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी गई।

इसी क्रम में दिनांक **08.07.2026** को प्रातः लगभग **05:00 बजे** पुलिस टीम ने जनपद **हरदोई** के **कवथकिया, कोतवाली शहर** स्थित उसके निवास पर दबिश देकर अभियुक्त **नरेन्द्र पुत्र मौजीराम**, उम्र लगभग **55 वर्ष**, को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त पिछले लगभग **20 वर्षों से फरार** चल रहा था तथा माननीय न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध **गैर-जमानती वारंट** जारी किया गया था। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर उसके विरुद्ध **धारा 82 एवं धारा 83 सीआरपीसी** के अंतर्गत उद्घोषणा एवं कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी थी। इसके बावजूद अभियुक्त लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसे अपने विरुद्ध जारी गैर-जमानती वारंट की पूरी जानकारी थी। उसने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था तथा पुलिस की नजरों से बचने के लिए दिनभर घर से दूर रहता था। वह केवल रात्रि के समय ही छिपते-छिपाते अपने घर आता था ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सके।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. नरेन्द्र पुत्र मौजीराम निवासी कवथकिया कोतवाली शहर जनपद हरदोई उम्र 55 वर्ष

04-सम्बन्धित वाद/अभियोग का विवरण-

वाद सं0 4057/98 , मु0अ0सं0 296/91 अन्तर्गत धारा 379/411 भादवि थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री सेवानन्द शर्मा थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ ।
3. का0 रोहित पासवान थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ ।